संख्या–2680/9–आ–1–98–42 विविध/96

प्रेषक,

श्री रामबृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2.उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3.अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 31 अगस्त, 1998

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण।

उपर्युक्त शासनादेश संख्या : 138 सी.एम./9–आ–1–98–10 मिस/88 दिनांक 23 नवम्बर, 1984 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों/भवनों के आवंटन में निम्न प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी :–

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक, सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	05
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	03
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	01
	कुल आरक्षण	66

विकलांग व्यक्ति भारत सरकार के द्वारा जारी निशक्त जन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम–1995 के अर्न्तगत समाज के विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण अपेक्षित है। इसी प्रकार सभी सरकारी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में भी 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। उक्त को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 3 प्रतिशत कर दी जाय परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में 3 प्रतिशत होगा। यह आरक्षण्या उसी श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध होगा। सामान्य श्रेणी में भी 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध होगा। उदाहरण स्वरूप यदि विकलांग व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 3 प्रतिशत का आरक्षण अनुसूचित जाति के विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण ''हारिजान्टल'' (Horizontal) होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें और समय–समय पर उक्त व्यक्तियों के लिए किये गये आवंटन का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव